जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर 129/17

अपील सूचना अधिकार संख्या 129/2017 अनवानी श्री महावीर पुत्र भूराराम, चक 2 डी छोटी, गांव साधुवाली, बाई पास ढाणी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार (भूअभिलेख) जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20—12—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री महावीर व उसके अभिभाषक श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि श्री बृजलाल अति. ओफिस कानूनगो उपस्थित है उनके द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानग का प्रतिवेदन संख्या 9485 दिनांक 20.12.17 प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी श्री महावीर के अभिभाषक श्री राधेश्याम गोयल का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना के संबंध शुद्धि पत्र संख्या 5 फटा हुआ बताकर उपलब्ध नही करवाया गया है शेष बन्दुओ की भी पूर्ण सूचना जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं दोषी कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि शुद्धि संख्या 5 फटा हुआ होने के कारण प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नही करवाई जा सकी। बिन्दु सं0 1 में चाही गई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है व बिन्दु संख्या 2 से 6 की सूचना शुद्धि पत्र पी—27 जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 के पीछे सलंग्न नही है पटवारी की रिपोर्ट शुद्धि पत्र पर ही अंकित होती है इसलिए सूचना नही दी गई है।

अपीलार्थी श्री महावीर ने अपने सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2017 के द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:—

जमाबन्दी सम्वत 2064—67 खाता संख्या 7/9 के मुरब्बा न. 14 की 5.944 के शुद्धि पत्र सं. 5 दिनांक 22.12.2009 के सम्बन्ध मे सूचना।

आपके पत्रांक 2755 दिनांक 05.07.2013 में अकिंत तथ्य कि पटवारी हल्का द्वारा शुद्धि पत्र संख्या 5 फटा हुआ है अतः प्रमाणित प्रति नही दी जा सकती।

1. **शुद्धि पत्र सं. 5 जिस दिवस फटा, जिसके कर्मकार के अधीन प्रार्थी की पत्रावली थी उस कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।**
2. **हल्का पटवारी की रिपोर्ट की सूचना व रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि।**
3. **शुद्धि हेतु पत्र जिस व्यक्ति द्वारा जिस अधिकारी के नाम जिस दिवस दिया गया उस व्यक्ति अधिकारी का नाम व पद व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।**
4. **शुद्धि पत्र जिस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया, जिस विषय वस्तु व जिस जमीन के सम्बन्ध में किया गया उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।**
5. **शुद्धि पत्र हेतु जिस व्यक्ति द्वारा आवेदन किया गया उसका नाम व पता व शुद्धि करने के आवेदन की दिनांक से आज तक जो कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।**
6. **उस तहसीलदार का नाम जिसके द्वारा शुद्धि पत्र भरने हेतु हल्का पटवारी को आदेश दिये गये, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर 129/17
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 9485 दिनांक 27.11.2017 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी श्री महावीर को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उसके प्रा0 पत्र के बिन्दु सं0 1 से संबंधित सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 8788 दिनांक 27.11.17 के द्वारा दी जा चुकी है बिन्दु सं0 2 से 6 की सूचना शुद्धि पत्र पी–27 जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 के पीछे सलंग्न नही है पटवारी की रिपोर्ट शुद्धि पत्र पर ही अंकत होती है। सूचना उपलब्ध नही होने के कारण नही दी गई है।

तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्र संख्या 8788 दिनांक 27.11.2017 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपने जमाबन्दी सम्वत 2064–67 के खाता संख्या 7/9 मु.न. 14 रकबा 5.944 है के शुद्धि संख्या 5 दिनांक 22.12.2009 के सम्बन्ध में आपके पत्रांक 2755 दिनांक 05.07.2013 में अकिंत तथ्य की पटवारी हल्का द्वारा शुद्धि पत्र संख्या 5 फटा हुआ है अतः प्रमाणित प्रति नही दी जा सकती। उक्त विषय में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार से हैः–

बिन्दु संख्या 1ः– उपरोक्त वर्णित शुद्धि पत्र संख्या 5 के फटने की दिनांक का रिकार्ड में कही उल्लेख नही है। शुद्धि पत्र भरने की दिनांक 22.12.2009 को पटवार मण्डल साधुवाली पर श्री हरीराम शर्मा पटवारी कार्यभार देख रहे थे तथा तत्कालीन तहसीलदार श्री रामेश्वरलाल जोशी रहे है।

बिन्दु संख्या 2 से 6ः– चूंकि शुद्धि पत्र पी–27 जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 के पीछे संलग्न नही है। पटवारी रिपोर्ट शुद्धि पत्र पर ही अंकित होती है। अतः उपलब्ध नही होने के कारण नही दी जा सकती।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिदु सं0 1 की सूचना तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है शेष बिन्दु सं0 2 से 6 की सूचना के संबंध में शुद्धि पत्र पी–27 जमाबन्दी के पीछे सलंग्न नही होने व पटवारी रिपोर्ट शुद्धि पत्र पर ही अंकित होने से उपलब्ध नही करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

129/17

A2
3

दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 27.11.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन था कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो उक्त पत्र दिनांक 27.11.17 से सूचना उपलब्ध करवाया जाना बताया है वह उन्हे प्राप्त नही हुआ है जिसकी प्रति दिलवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भूअ) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति मय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर के पत्र संख्या 8788 दनांक 27.11.17 की प्रति सहित अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2177-78
28.12.17

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर